("ग्रामीण सेवा शिविर–2025")

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार मण्डावर बनाम गोरधनी

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 605/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर–2025" के दौरान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का ऊकरूंद ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का ऊकरूंद के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि ग्राम ऊकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा की जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 58 के खातेदार गोरधनी पत्नि स्व भम्बल हिस्सा 1/12, रामगोपाल पुत्र भम्बल हिस्सा 1/6 जाति मीना राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा मण्डावर एवं बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर निवासी बावडीखेडा दर्ज है। प्रार्थी ग्राम ऊकरूंद के निवासी है जबकि जमाबंदी में निवासी बावडीखेडा दर्ज किया हुआ है एवं दो बैंकों में रहन दर्ज है। अतः प्रार्थी के निवासी बावडीखेडा के स्थान पर ग्राम ऊकरूंद करने की एवं बैंक का नाम सही करने की कृपा करे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है इसलिए प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। **आदेश** हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया। (अमित कुमार वर्मा) R.A.S उपखण्ड अधिकारी मण्डावर दौसा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	